सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-234/2020/465/22-2-2020-17(796)/2017

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी जयपाल (बन्दी संख्या-47070) पुत्र श्री जगदीश उर्फ जगजीत, जो-रसूलपुर जागन उर्फ लक्खूवाला, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-बिजनौर** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-347/1981** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/149,307/149,148** के अधीन **दिनांक 29.09.1982** को **मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की आयु लगभग 79 वर्ष होने, संतोषजनक जेल आचरण तथा दिनांक 30.11.2019 तक काटी गयी 11 वर्ष 03 माह 04 दिन अपरिहार सजा के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं, तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-234/2020/465(1)/22-2-2020 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर ।
3- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in